न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चौरोटी पहाड)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
मुकदमा नं0 3/ 1114 /15

निर्णय दिनांक : 30.06.2016

उनवान

1. कज्जर पुत्र छुटटू जाति फकीर निवासी ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर।
.............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।
............अप्रार्थी
(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि खाता सं0 116 की आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 0.21, 197 रकबा 0.22 कुल किता 2 रकबा 0.43 व इसी प्रकार आराजी खाता सं0 199 की आराजी खसरा नम्बर 194, 195, 786, 787, 788 कुल किता 5 रकबा 0.91 हैक्ट0 व खाता सं0 286 की आराजी खसरा नम्बर 183, 184, 185, 186, 187 कुल किता 5 रकबा 0.69 हैक्ट0 वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर की आराजी में प्रार्थी का हिस्सा है और प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है। लेकिन प्रार्थी के खाता सं0 116 की आराजी में तो प्रार्थी के पिता का नाम छुटटु सही है लेकिन खाता सं0 199 व 286 की आराजी में कही पर हढु व कही पर छुटु लिख रखा है। जबकि साबिक रिकार्ड सम्वत 2049 की जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम सही है उसके बाद खाता सं0 199 व 286 के कब्जे काश्त के खाते में उक्त गलती सहवन से हुई है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करना चाहता है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हाल जमाबन्दी के खाता सं0 199 व 286 में जो प्रार्थी के पिता का नाम हढु व छुटु दर्ज कर रखा है उसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के पिता का नाम छुटटू दर्ज कराया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में दिनांक 30.06.2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2049 खाता सं0 163 के वर्तमान रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी फज्जर के पिता की वल्दियत हट्टु के स्थान छुटटु दर्ज करना उचित है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2020 के खाता सं0 167 पर प्रार्थी के पिता का नाम छुटटू दर्ज है।

पत्रावली का अवलोकन लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2020 के खाता सं0 167 पर प्रार्थी के पिता का नाम छुटटू दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2049 खाता सं0 163 के वर्तमान रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी फज्जर के पिता की वल्दियत हटु के स्थान छुटटु दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि खाता सं0 116 की आराजी खसरा नम्बर 196 रकबा 0.21, 197 रकबा 0.22 कुल किता 2 रकबा 0.43 व इसी प्रकार आराजी खाता सं0 199 की आराजी खसरा नम्बर 194, 195, 786, 787, 788 कुल किता 5 रकबा 0.91 हैक्ट0 व खाता सं0 286 की आराजी खसरा नम्बर 183, 184, 185, 186, 187 कुल किता 5 रकबा 0.69 हैक्ट0 वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ जिला अलवर के समस्त हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम छुट्टू, हट्टु, हटटू दर्ज है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी के पिता का सही नााम छुटटू नियमानुसार दर्ज करना सुनिश्चित करे। शेष इन्द्राज यथावत रहेगे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में सुनाया गया।

*उपखण्ड अधिकारी*
*रामगढ़ (अलवर)*